भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 151

उत्तर देने की तारीख 01 दिसंबर, 2025

सोमवार, 10 अग्रहायण, 1947 (शक)

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम में प्रशासनिक संकट

151. श्री के. सुधाकरनः

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) में प्रशासनिक संकट का संज्ञान लिया है, जिसमें अगस्त 2025 में एनएसडीसी के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ सार्वजनिक धन के कथित दुरुपयोग के लिए दर्ज की गई पुलिस शिकायत भी शामिल है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या एनएसडीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) को मई 2025 में मंत्रियों के परामर्श के बिना की गई अनियमित नियुक्तियों की शिकायतों के बाद हटा दिया गया था और यदि हाँ, तो ऐसी कार्रवाई के क्या कारण हैं;

(ग) क्या प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत उपस्थिति रिकॉर्ड में हेराफेरी करने के लिए प्रशिक्षण भागीदारों के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 40 संस्थाओं को काली सूची में डाल दिया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा दुरुपयोग की गई धनराशि की वसूली, आपराधिक मुकदमा शुरू करने, एनएसडीसी के भीतर संरचनात्मक और संस्थागत सुधारों के लिए क्या व्यापक उपाय किए गए हैं और क्या कौशल पारिस्थितिकी तंत्र में पारदर्शिता, विश्वसनीयता और दक्षता बहाल करने के लिए स्वतंत्र जांच का कोई प्रस्ताव है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख): राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) कंपनी अधिनियम, 1956 के सेक्शन 25 (जो अब कंपनी अधिनियम, 2013 के सेक्शन 8 के तदनुरूप है) के तहत एक नॉट-फॉर-प्रॉफिट पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पर स्थापित किया गया है। यह कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) के तहत एक विशिष्ट सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तौर पर काम करता है, जिसमें 49% शेयर पूंजी सरकार के पास और 51% निजी क्षेत्र के पास है। एनएसडीसी के किसी भी प्रशासनिक निर्णयों के लिए सबसे शीर्ष प्राधिकरण, एनएसडीसी का

निदेशक मंडल है। केंद्र सरकार छह निदेशकों तक की नियुक्ति कर सकती है, जबकि निजी क्षेत्र के शेयरधारक नौ निदेशकों तक की नियुक्ति कर सकते हैं। एनएसडीसी बोर्ड ने दिनांक 15 मई, 2025 को हुई अपनी बैठक में, संगठन के शासी फ्रेमवर्क और निर्धारत प्रक्रिया के अनुसार एनएसडीसी के उस समय के स्थानापन्न सीईओ को हटाने का फैसला लिया, जो कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) के प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं आता है।

(ग) और (घ): पीएमकेवीवाई के कार्यान्वयन में गुणवत्ता, पारदर्शिता और एकरूपता बढ़ाने के लिए सरकार ने समय-समय पर कई उपाय किए हैं। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिद्ध) पर पंजीकरण प्रक्रिया, ई-केवाईसी अनुपालन सुनिश्चित करने, उम्मीदवारों के क्रेडेंशियल्स का आधार आधारित प्रमाणीकरण, मोबाइल नंबर प्रमाणीकरण, चेहरा प्रमाणीकरण और आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (एईबीएएस) के माध्यम से उपस्थिति, उम्मीदवारों के दोहराव की जांच के लिए एसआईडीएच(सिद्ध) पोर्टल के माध्यम से सभी प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) को बनाए रखने जैसी प्रौद्योगिकी-सक्षम प्रणालियों के माध्यम से निरीक्षण तंत्र को मजबूत किया गया है। उपस्थिति रिकॉर्ड में हेराफेरी सहित कदाचार को रोकने के लिए एक संरचित शिकायत निवारण ढांचा, प्रदर्शन लेखा-परीक्षा (ऑडिट), प्रभाव आकलन और तीसरे पक्ष के मूल्यांकन को संस्थागत रूप दिया गया है। इसके अलावा, सीएजी को वर्ष 2017-18 से पीएमकेवीवाई योजना की कार्यान्वयन एजेंसी, एनएसडीसी की लेखा-परीक्षा (ऑडिट) भी करनी होती है।

पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत, केवल मान्यता प्राप्त एवं संबद्ध प्रशिक्षण केंद्रों (टीसी) के माध्यम से ही प्रशिक्षण संचालित किया जा रहा है। इन केंद्रों की निगरानी भौतिक और वर्चुअल दोनों माध्यमों से की जाती है। उपस्थिति अभिलेखों में हेराफेरी जैसी गतिविधियों में शामिल गैर-अनुपालनकर्ता टीसी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने, काली सूची में डालने, निलंबन और वित्तीय वसूली सहित कठोर कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई की जाती है। दिनांक 31 अक्टूबर 2025 तक, योजना दिशानिर्देशों का पालन न करने के कारण पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत कुल 178 प्रशिक्षण केंद्रों को काली सूची में डाल दिया गया है। इसके अतिरिक्त, उपस्थिति अभिलेखों में हेराफेरी सहित गंभीर अनियमितताओं से जुड़े मामलों में 41 एफआईआर पहले ही दर्ज की जा चुकी हैं।

अतिरिक्त सुधार जैसे वास्तविक समय कॉल सत्यापन, केंद्र का आकस्मिक दौरा, जियोटैग्ड साक्ष्य के साथ वर्चुअल सत्यापन, तथा एनआईसी द्वारा विकसित सेंट्रल कम्युनिकेशन लेयर (सीसीएल) के माध्यम से अभ्यर्थियों का फीडबैक भी लागू किया गया है।

*****